

## बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यकता

विज्ञापन संख्या-01/2015

बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रतिवेदक के 07 (सात) रिक्त पदों पर बैठन बैण्ड पी०बी० 2, 9300 34,800 रु०, ग्रेड बैठन 4200/- रु० में नियुक्ति हेतु देवनागरी लिपि में विहित प्रपत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

1. कोटिवार रिक्त पदों की संख्या :- अनारक्षित - 2 (दो) पद, अनुसूचित जाति-03 (तीन) पद (बैकलॉग) एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-2 (दो) पद (बैकलॉग) यानि कुल 7 (सात) पद ।
2. शैक्षणिक योग्यता :- उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होनी चाहिए । आशुलिपि (हिन्दी) - 120-150 शब्द प्रति मिनट, आशुलिपि (अंग्रेजी) - 80 शब्द प्रति मिनट, टंकण गति एवं कम्प्यूटर गति (हिन्दी एवं अंग्रेजी) 35 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है । कम्प्यूटर संचालन हेतु सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा होना चाहिए ।
3. परीक्षा की प्रकृति :- आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 (पाँच) मिनट एवं आशुलिपि अंग्रेजी की परीक्षा 5 (पाँच) मिनट की होगी । आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 5 (पाँच) मिनट में 120-150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 600-750 शब्द और आशुलिपि (अंग्रेजी) की परीक्षा 5 (पाँच) मिनट में 80 (अस्सी) शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 400 (चार सौ) शब्द की होगी । श्रुतिलेखन का अनुवाद हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्तलिपि में करने हेतु क्रमशः 70 (सत्तर) मिनट एवं 45 (पैतालिस) मिनट का समय अनुमान्य है । आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10% छूट अनुमान्य है । टंकण एवं कम्प्यूटर में हुई गलतियों पर छूट के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त नियम अनुमान्य है ।
4. आयु सीमा :- अध्यर्थी की आयु दिनांक 01.06.2015 को -
  - (क) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष ।
  - (ख) अनारक्षित वर्ग (महिला) - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष ।
  - (ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष ।
  - (घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष ।
5. आवेदन पत्र के साथ संलान जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि की चाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्राप्ति होना चाहिए ।
6. आवेदन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साईंज फोटो (हाल का खीचा हुआ) चिपका एवं राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्राप्ति तथा प्रवेश पत्रक पर चिपकाया गया फोटो स्वहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है ।
7. सरकारी सेवक अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन समय सीमा के अंदर भेज सकते हैं, जिन्हें उप्र सीमा में छूट दी जा सकेंगे ।
8. अधूरे या विज्ञापन के अनुरूप आवेदन पत्र प्राप्त नहीं रहने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
9. आवेदन पत्र का प्रपत्र एक ही पृष्ठ में भरें तथा मुद्रित अथवा टक्कित प्रति में आवेदन न करें अन्यथा उसे बिना विचार किये अमान्य कर दिया जायेगा ।
10. आवेदन पत्र के साथ  $26 \times 10$  सेंटीमी० आकार का अपना पता लिखा बिना टिकट चिपका दो लिफाफा अवश्य मंलग्न करें ।
11. उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वहस्तलिखित विहित प्रपत्र में  $31 \times 20$  सेंटीमी० तथा प्रवेश पत्र (दो प्रतियों में)  $20 \times 15$  सेंटीमी० के आकार का सादा मोटे कागज पर ही स्वीकार किये जायेंगे ।
12. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए रिक्त पदों को भरा जायेगा ।
13. कार्यक्रम एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम उप्र सीमा में छूट के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त नियम लागू होंगा ।
14. रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है ।

15. आवेदन पत्र निर्धारित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना-800015 के पदनाम से विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से पहुंच जाना चाहिए। लिफाफे के क्षेत्र आवेदित पद एवं कोंटि का उल्लेख करना आवश्यक होगा। अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसा आवेदन स्वतः अस्वीकृत समझा जायेगा।
16. सभा सचिवालय नियुक्त से संबोधित पात्रता की किसी भी शर्तों को संशोधित/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
17. जाँच परीक्षा, साक्षात्कार में सम्मालित होने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

हरेराम मुख्या

प्रभारी सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।

विज्ञापन संख्या-1/2015

प्रतिवेदक पद पर नियमित हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

二〇

प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

हाल का खोचा हुआ  
फोटो यहाँ चिपकाएँ  
एवं राजपत्रित  
पदाधिकारी मे  
अभिप्रामाणित करायें

- आवेदित पद का नाम
  - अध्यर्थी का नाम (साफ अक्षरों में)  
हिन्दी :  
अंग्रेजी :
  - पिता/पति का नाम
  - जन्म तिथि
  - दिनांक 01.06.2015 को उम्र
  - पत्राचार का पता
  - स्थायी पता

### ८. शैक्षणिक योग्यता:

(क)	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक का प्रतिशत

(ख) अन्य योग्यताएँ :

9. आशुलिपि की वर्तमान गति (प्रति मिनट) :-  
आशुलिपि (हिन्दी) की गति - आशुलिपि (अंग्रेजी) की गति -

10. टंकण एवं कम्प्यूटर की गति (प्रति मिनट) :-  
हिन्दी टंकण की गति - अंग्रेजी टंकण की गति -  
हिन्दी कम्प्यूटर की गति - अंग्रेजी कम्प्यूटर की गति -

11. कार्ब का अनुभव

12. आरक्षण से संबंधित श्रेणी (जाति का व्यैसा प्रमाण पत्र सहित) :-

અંગ્રેજી

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस आवेदन पत्र में कोई गयी सभी प्रक्रियाएँ सही हैं। यदि परीक्षा के पहले या बाद में कोई सूचना गलत पायी जाय या अपात्रता का पता चलता है तो बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

लिखित:

संस्थानः-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

## बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रवेश-पत्रक

(स्वहस्तलिखित दो प्रतियों में)

1. आवेदित पद का नाम : -
2. अभ्यर्थी का नाम  
(साफ अक्षरों में)
3. पिता/पति का नाम
4. जन्म तिथि
5. पत्राचार का पता
6. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

म्बहस्ताक्षरित हाल  
का खींचा हुआ  
पासपोर्ट साईज का  
फोटो यहाँ चिपकाएँ

## कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

1. परीक्षा की तिथि एवं समय
2. परीक्षा का स्थान
3. क्रमांक

अवर सचिव  
बिहार विधान सभा, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय  
विज्ञापन संख्या-01/2015 से संबंधित शुद्धि पत्र

बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2015 में कॉडिका-17 के बाद कॉडिका-18 एवं प्रतिवेदक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र में कॉडिका-12 के बाद कॉडिका-13 को निम्नलिखित रूप में क्रमशः सन्निहित किया जाता है:-

विज्ञापन संख्या-01/2015 की कॉडिका-18 :- वर्ष 1990 एवं उसके बाद के वर्षों में नियुक्त बिहार विधान सभा के छंटनीग्रस्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उप्र सीमा में छूट दी जायेगी ।

आवेदन पत्र के प्रपत्र की कॉडिका-13 :- यदि बिहार विधान सभा सचिवालय के छंटनीग्रस्त पदाधिकारी / कर्मचारी हों, तो उसका उल्लेख करें:-

इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस शुद्धि पत्र प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर उनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र निर्बंधित डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना-800015 के पदनाम से निश्चित रूप से पहुँच जाना चाहिए । विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

राजीव कुमार  
प्रभारी सचिव  
बिहार विधान सभा, पटना ।